अध्याय 5: संसाधन

5.1 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उपकर का संग्रह

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 की धारा 3, अधिनियम के प्रयोजनों के लिए ऐसे दर जो निर्माण की लागत के दो प्रतिशत से अधिक न हो और न एक प्रतिशत से कम हो, पर उपकर लगाने और संग्रह करने का प्रावधान करती है। श्रम मंत्रालय, भारत सरकार ने अधिसूचना (सितंबर 1996) के माध्यम से अधिसूचित किया कि नियोक्ता द्वारा किए गए निर्माण की लागत के एक प्रतिशत की दर से उपकर काटा जाएगा। यह धारा सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के भवन या अन्य निर्माण कार्य के संबंध में स्रोत पर उपकर की कटौती या भवन निर्माण अनुमति की मंजूरी के समय स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से अग्रिम संग्रह को सक्षम बनाती है। वर्ष 2017–22 के दौरान एकत्रित उपकर का विवरण **तालिका 5.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.1: वर्ष 2017–18 से 2021–22 के दौरान भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा संग्रहित उपकर का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	चयनित जिले					अन्य जिला	कुल उपकर
	बिलासपुर	बस्तर	जांजगीर–चांपा	रायगढ़	रायपुर		
2017–18	8.98	3.34	3.87	8.03	42.56	111.61	178.39
2018–19	7.62	8.55	3.11	8.09	36.89	135.45	199.71
2019–20	5.78	3.04	0.79	7.37	28.94	117.70	163.62
2020–21	6.64	11.20	0.47	7.94	23.06	123.03	172.34
2021–22	8.41	11.62	2.29	5.28	25.33	138.14	191.07
योग	**37.43**	**37.75**	**10.53**	**36.71**	**156.78**	**625.93**	**905.13**

(स्रोत: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल द्वारा उपलब्ध कराई गई जानकारी)

उपकर निर्धारण प्राधिकारी द्वारा उपकर का निर्धारण न करने के कारण निम्नलिखित अनियमितताएँ देखी गई :

5.1.1 उपकर की कटौती नही किया जाना राशि ₹ 2.82 करोड़

अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह देखा गया कि 32 कार्य संभागों में से एक, पांच नगर निगमों में से दो और पांच नगर एवं ग्राम निवेश कार्यालयों में से एक, वर्ष 2017–22 के लिए कुल ₹ 2.82 करोड़ का उपकर काटने में विफल रहा। प्रत्येक विभाग द्वारा उपकर की कटौती न करने का कारण नीचे दिया गया है:

- कार्यालय कार्यपालन अभियंता, मुख्य मंत्री ग्राम सड़क योजना, रायगढ़ ठेकेदार के एस्केलेशन देयकों से ₹ 1.16 लाख का उपकर काटने में विफल रहा।
- कार्यालय आयुक्त, रायपुर नगर निगम, परियोजनाओं की मंजूरी से पहले कॉलोनाइजरों[1] द्वारा की गई आंतरिक विकास गतिविधियों (जैसे सड़क, पानी की टंकी, गार्ड रूम, बाउंड्री वॉल आदि का निर्माण) की लागत से ₹ 269.28 लाख का उपकर काटने में विफल रहा था।

[1] कॉलोनाइज़र: कोई भी व्यक्ति या संस्था जो कॉलोनी की स्थापना का कार्य करना चाहता है।

- कार्यालय आयुक्त, जगदलपुर नगर निगम, परियोजनाओं की मंजूरी से पहले कॉलोनाइजरों द्वारा की गई आंतरिक विकास गतिविधियों (जैसे सड़क, पानी की टंकी, गार्ड रूम, बाउंड्री वॉल आदि का निर्माण) की लागत से ₹ 10.11 लाख का उपकर काटने में विफल रहा था।
- कार्यालय सहायक संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश, जांजगीर–चांपा, 11 व्यक्तियों से भवन अनुज्ञा से पहले निर्माण की अनुमानित लागत से ₹ 1.22 लाख की उपकर की कटौती करने में विफल रहा था।

शासन ने आश्वासन दिया (अप्रैल 2024) कि इन अनियमितताओं के संबंध में संबंधित विभागों से पत्राचार किया गया है। साथ ही यह भी आश्वासन दिया गया है कि यदि विभाग लंबित उपकर जमा करने में विफल रहते हैं तो उपकर निर्धारण प्राधिकरण को राजस्व संग्रह की तरह उपकर वसूलने का निर्देश दिया जाएगा।

5.1.2 उपकर का हस्तांतरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर नियम, 1998 के नियम 5 के अनुसार, सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्थानीय प्राधिकरणों और उपकर संग्रहकर्ताओं द्वारा नियम 4 के अंतर्गत एकत्रित उपकर की राशि, भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को हस्तांतरित की जाएगी। एकत्रित उपकर राशि को उसके संग्रह के तीस दिनों के भीतर मंडल को हस्तांतरित किया जाना चाहिए।

5.1.2 (अ) उपकर राशि ₹ 3.38 करोड़ का हस्तांतरण न होना

नमूना जांच की गई इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच के दौरान यह पाया गया कि 32 निर्माण संभागों में से एक और पांच नगर निगमों में से दो में, अप्रैल 2017 से मार्च 2022 की अवधि के मध्य एकत्र की गयी उपकर राशि ₹ 3.38 करोड़ को मार्च 2022 तक भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को हस्तांतरित नहीं किया गया था जैसा कि **तालिका 5.2** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.2: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के हस्तांतरण नहीं किये जाने का विवरण

क्र.सं.	संभाग का नाम	राशि (₹ में)
1	कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन विभाग, सर्वेक्षण एवं बैराज निर्माण संभाग 1, रायगढ़	16,89,639
2	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायगढ़	2,30,47,876
3	आयुक्त, नगर पालिक निगम, जगदलपुर, बस्तर	90,14,462
	योग	**3,37,51,977**

शासन ने आश्वासन दिया (अप्रैल 2024) कि लंबित उपकर की वसूली के लिए संबंधित विभागों से पत्राचार किया गया है। वर्तमान में रायपुर नगर निगम ने लंबित उपकर जमा कर दिया है। शासन ने यह भी बताया कि उपकर निर्धारण अधिकारी को राजस्व वसूली की तरह ही लंबित उपकर वसूलने के निर्देश दिए गए हैं।

5.1.2 (ब) उपकर का विलंबित हस्तांतरण

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 की धारा 8 में यह भी प्रावधान है कि यदि कोई नियोजक धारा 3 के अंतर्गत देय उपकर की किसी राशि का भुगतान निर्धारण आदेश में निर्दिष्ट समय के भीतर करने में विफल रहता है तो ऐसा

नियोजक, भुगतान देय होने की तिथि से ऐसी राशि का वास्तव में भुगतान होने तक की अवधि में शामिल प्रत्येक माह या महीने के भाग के लिए उस राशि पर दो प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

अभिलेखों के नमूना जांच के दौरान पाया गया कि 32 निर्माण संभागों में से आठ और पांच नगर निगमों में से एक में ₹ 8.09 करोड़ उपकर के संग्रहण और भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को उसके हस्तांतरण में 1 से लेकर 120 माह की देरी हुई जैसा कि **तालिका 5.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण उपकर के भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मंडल को हस्तांतरण में विलंब का विवरण

क्र.सं.	संभाग का नाम	राशि ₹ में	विलंब महीनों में
1	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, भवन एवं सड़क संभाग, रायगढ़	17,03,392	25 से 35 माह
2	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, सिविल संभाग, रायगढ़	15,99,072	1 से 7 माह
3	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायगढ़	63,75,103	1 से 96 माह
4	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, रायपुर	1,92,41,046	1 से 90 माह
5	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिकी, सिविल संभाग, रायपुर	8,68,473	14 से 62 माह
6	कार्यपालन अभियंता, लोक स्वास्थ्य एवं यांत्रिक, सिविल संभाग, बिलासपुर	8,75,569	1 से 8 माह
7	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, उत्तर बस्तर संभाग 1, जगदलपुर	8,67,144	71 से 120 माह
8	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग, जगदलपुर, बस्तर	3,66,874	34 से 46 माह
9	आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर	4,89,87,414	32 से 44 माह
	योग	**8,08,84,087**	

इसके अतिरिक्त, कार्यालय आयुक्त, नगर पालिक निगम, रायपुर ने वर्ष 2021– 22 के दौरान भवन अनुज्ञा देकर ₹ 4.91 करोड़ का अग्रिम उपकर वसूल किया। लेखापरीक्षा में यह इंगित किये जाने पर कार्यालय ने 32 से 44 माह के विलम्ब से ₹ 4.90 करोड़ का लंबित उपकर जमा किया (मार्च 2024)।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि इन अनियमितताओं के संबंध में संबंधित विभागों से पत्राचार किया गया है।

5.1.2 (स) विभिन्न निकायों/विभागों से प्राप्त चेकों के विरूद्ध ₹ 3.98 करोड़ की राशि प्राप्त न होना

भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल के अभिलेखों की जांच के दौरान यह देखा गया कि ₹ 3.98 करोड़ की उपकर राशि से संबंधित कुल 326 चेक कालातीत हो गए थे और 2019 से बैंक में भुनाए नहीं जा सके, जिसके कारण भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को ₹ 3.98 करोड़ की धनराशि प्राप्त नहीं हुई।

राज्य शासन ने बताया (अप्रैल 2024) कि शेष राशि की वसूली के लिए संबंधित विभागों से नए चेक प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

5.2 निष्कर्ष

राज्य में उपकर कटौती/संग्रहण प्राधिकारियों द्वारा ₹ 2.82 करोड़ के उपकर की कटौती नहीं किये जाने, ₹ 3.38 करोड़ के उपकर के हस्तांतरण नहीं किये जाने के मामले पाये गये। लेखापरीक्षा ने देखा कि नमूना जांच किए गए उपकर कटौती/संग्रहण प्राधिकारियों अर्थात् निर्माण विभागों, शहरी स्थानीय निकायों और नगर एवं ग्राम निवेश द्वारा 1 माह से 120 माह तक के विलंब से ₹ 8.09 करोड़ के उपकर का हस्तांतरण किया गया।

5.3 अनुशंसाएं

- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल को उपकर के समय पर संग्रहण और हस्तांतरण के लिए उपकर कटौती/संग्रहण प्राधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित करना चाहिए क्योंकि इसकी देरी से मण्डल को ब्याज की हानि होती है।
- उपकर का संग्रह न करने, संग्रह में देरी और हस्तांतरण न करने के लिए जुर्माना लगाने का उपयुक्त प्रावधान मौजूदा नियमों में किया जाना चाहिए।